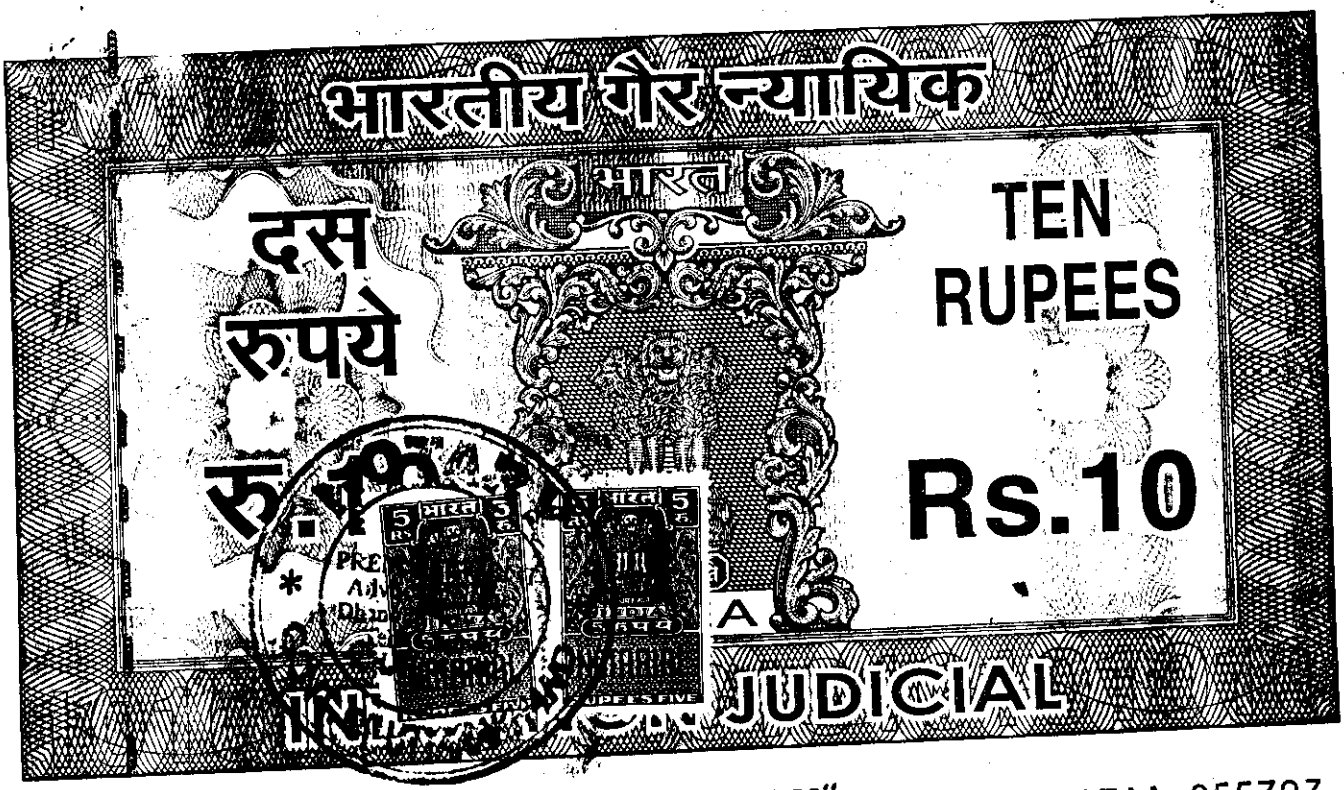

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

" प्रारूप 26"
(नियम 4 का देखिए)

13AA 955303

0-देवप्रयाग निर्वाचन क्षेत्र से उत्तरखण्ड विधान सभा के लिये निर्वाचन के लिये, रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र।

शपथ–पत्र

मैं, जबर सिंह रावत, पुत्र श्री स्व० श्री ... सिंह रावत, आयु– 47, वर्ष, जो ग्राम– 85/16-2 पट्टी– नेशविला रोड तहसील– देहरादून, जिला– ~~टिहरी गढ़वाल~~ देहरादून का निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ :–

1– मैं ऐसे किसी लम्बित मामलें में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त नही हूँ, जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया है/किए गये हैं–
(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त है, तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

i– मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं– कोई नही,

ii– पुलिस थाना– नही, जिला– नही, राज्य– नही,

जबर सिंह रावत

क्रमशः–2–पर

iii- सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है— नही

iv- न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई— नही

v- तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/ किए गये थे— नही,

vi- क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है— नही

2— मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम—1951) (1951 का 43) की धारा—8 की उपधारा (1) या उप धारा (2) में निर्दिष्ट या उप धारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष नही ठहराया गया है, और वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दण्डादिष्ट नहीं किया गया है।
(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

i— मामला /प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं— कोई नही

ii— न्यायालय, जिसने दण्डित किया है— कोई नही

iii— पुलिस थाना (थाने)— कोई नही जिला (जिलों)— नही राज्य— कोई नही,

iv— सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है— कोई नही,

v— तारीख (तारीखें) जिनको आरोप दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गये थे— कोई नही,

vi— क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गये हैं— कोई नही,

PREM SINGH BIST
Advocate/Notary
Dhasolti/New Tehri
Tehri Garhwal
R.N. 07(08)/2005
GOVT. OF UTTARAKHAND

जबरसिंह रावत
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

स्थान— नई टिहरी।
तारीख— 12.01.2012

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस शपथ पत्र के अर्न्तवस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है, और कोई तात्विक बात छिपाई नहीं गई है।

नई टिहरी, दिनांक— 12.01.2012 को सत्यापित किया। जबरसिंह रावत

solmnly affirmed by deponent
Shri Jabar S/o Ram
R/o [illegible] Distt. Dehradun
on 12/1/2012

PREM SINGH BIST
Advocate